अध्याय - 3

अध्याय-3

3 अनुपालन लेखापरीक्षा अवलोकन

इस अध्याय में राज्य सरकार के कंपनियों के लेन-देन के नमूना जाँच के आधार पर एक कंडिका शामिल है।

झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जेयूयूएनएल)

3.1 जल विद्युत संयंत्र सिकिदिरी में ₹ 22.79 करोड़ मूल्य के ऊर्जा उत्पादन का परिहार्य हानि

जेयूयूएनएल के द्वारा बुशिंग के सामयिक परीक्षण न करने के कारण एवं क्रय और उसके प्रतिस्थापन में 16 महीने की अनावश्यक देरी के कारण ₹ 22.79 करोड़ मूल्य की 75.73 एमयू ऊर्जा का परिहार्य उत्पादन घाटा।

झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (कंपनी) का 130 मेगावाट (दो इकाईx65 मेगावाट) क्षमता का एक जल विद्युत संयंत्र, स्वर्णरेखा जल विद्युत संयंत्र (एसआरएचपी), राँची जिले के सिकिदिरी में है। उपर्युक्त प्रत्येक इकाई को 80 एमवीए जेनरेटर ट्राँसफार्मर (जीटी) के साथ डिजाइन किया गया है जिसमें तीन फेज हैं एवं प्रत्येक फेज में तीन अलग-अलग {लाल (आर) पीला (वाई) और नीला (बी)} उच्च तनाव बुशिंग[1] लगे हैं, जो कि इसके कार्य संचालन के अभिन्न अंग हैं।

चित्र 3.1: एसआरएचपी, सिकिदिरी में स्थापित बुशिंग और जेनरेटर ट्राँसफार्मर

18 जून 2015 को यूनिट II में लगे जीटी का वाई फेज बुशिंग फट गया जिससे इकाई को तत्काल बन्द करना पड़ा। 28 जुलाई 2015 को एक पुनर्संगठित बुशिंग स्थापित किया गया जो कि चार घंटा चलने के बाद लगे

[1] एक विद्युत अवरोधक उपकरण जिसका कार्य ट्राँसफर्मर में विद्युत धारा का सुरक्षित प्रवाह कराना है

हुए अन्य दो बुशिंग (फेज आर और बी) के साथ फट गया जिससे यूनिट-II फिर से बन्द हो गया।

भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (बीएचईएल), मूल उपकरण निर्माता (ओईएम), ने तीन बुशिंग के लिए ₹ 13.14 लाख का मूल्य उद्धृत किया। यद्यपि यह क्रय प्रबन्ध निदेशक (एमडी) को निहित शक्तियों के अधीन था तथापि उन्होंने इस प्रस्ताव को निदेशक मण्डल (बीओडी) की मंजूरी के लिए भेजा क्योंकि इस क्रय में 20 प्रतिशत अग्रिम भुगतान शामिल था। हालांकि बीओडी ने प्रस्ताव को वापस करते हुए एमडी से अपनी निहित शक्तियों का प्रयोग करने को कहा और तदनुसार, फरवरी 2016 में बीएचईएल को एक क्रय आदेश जारी किया गया।

साथ ही, कंपनी ने बीएचईएल को ₹ 44,200 प्रति सेवा अभियंता प्रति दिन की दर से कम से कम तीन दिनों के लिए, बुशिंग की स्थापना के पर्यवेक्षण का प्रस्ताव किया। यद्यपि एमडी को निहित शक्तियों के अधीन ₹ एक करोड़ मूल्य तक परामर्श सेवाएँ अनुमोदित करने का अधिकार था, तथापि कंपनी के अधिकारियों[2] ने इस मामले को होल्डिंग कंपनी झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जेयूवीएनएल) को भेजा (नवम्बर 2015) जिसे होल्डिंग कंपनी ने एमडी को निहित शक्तियों का हवाला देते हुए लौटा दिया (फरवरी 2016)। उसके दो माह बाद कंपनी के वित्त नियंत्रक (एफसी)-1 द्वारा मई 2016 में बिना कोई कारण दर्ज किये बीएचईएल के साथ मूल्य में मोल-भाव का प्रस्ताव दिया। बीएचईएल ने इंनकार करते हुए मूल्य बढ़ाकर (अगस्त 2016) ₹ 46,200 प्रति अभियंता प्रति दिन कर दिया (क्योंकि प्रस्ताव के तीन माह की वैधता समाप्त हो चुकी थी)। इसके बाद कंपनी ने आंतरिक चर्चाओं में लगभग छः माह व्यतीत करते हुए ₹ 4.62 लाख का कार्यादेश अंतिम भुगतान हेतु जारी किया (फरवरी 2017)। बुशिंग की स्थापना और कमीशनिंग हेतु एक अलग कार्यादेश जारी किया गया (मार्च 2017) और अतंतः जून 2017 में बुशिंग स्थापित और चालू हुआ।

लेखापरीक्षा का अवलोकन नीचे दिया गया हैं:

✓ यद्यपि कंपनी को ट्राँसफार्मर के स्थापना की तारीख से प्रति पाँच वर्ष[3] में बुशिंग की टैन डेल्टा टेस्ट (टीडीटी) करने की आवश्यकता थी, परन्तु 1980 में संयंत्र की स्थापना के पश्चात से ऐसा कोई परीक्षण नहीं किया गया था।

[2] विद्युत अधीक्षण अभियंता (ईएसई) (उत्पादन), मुख्य अभियंता एवं निदेशक (संचालन एवं अनुरक्षण)

[3] 01 जनवरी 2017 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली में 220 केवी और इससे अधिक विभव वर्ग के सब-स्टेशन उपकरण के असफलता की जाँच के लिए बनाई गयी विशेषज्ञों की स्थाई समिति की बैठक का कार्यवृत

यदि यह किया गया होता तो बुशिंग की विफलता का अनुमान लगाया एवं रोका जा सकता था।

✓ इसके अलावा, यद्यपि कंपनी के अपने मुल्यांकन के अनुसार बुशिंग की औसत आयु 30 वर्ष है, तथापि कंपनी ने बुशिंग को बदलने या अतिरिक्त बुशिंग खरीदने के लिए 2010 तक कोई कदम नहीं उठाया। यदि यह किया गया होता तो घिसा हुआ बुशिंग को समय पर बदल कर यूनिट-II की विफलता को रोका जा सकता था।

✓ यह ध्यान में रखते हुए कि संपूर्ण क्रय एमडी की ₹ एक करोड़ की निहित शक्तियों के अधीन था और अतिरिक्त बुशिंग का मूल्य और इसकी स्थापना की प्रर्यवेक्षण का मूल्य अपेक्षाकृत बहुत कम, जोकि क्रमश: ₹ 13.14 लाख और ₹ 4.62 लाख था, कंपनी ने इसके महत्व और तत्कालिक आवश्यकता को आंकने में संवेदना की उल्लेखनीय कमी प्रदर्शित की, जिसके परिणामस्वरूप यूनिट-II 24 महीने बंद रहा (यानि, जून 2015 से जून 2017 तक) और 75.73 मिलियन यूनिट[4] (एमयू) ऊर्जा उत्पादन का घाटा हुआ जिसका मुल्य ₹ 22.79 करोड़[5] है।

लेखापरीक्षा अवलोकन के उत्तर में कपंनी और ऊर्जा विभाग ने कहा (नवम्बर 2017 और अप्रैल 2018) कि कंपनी के तरफ से कोई देरी नहीं हुई थी जिसे लेखापरीक्षा ने पूर्वोक्त कारणों के आलोक में अस्वीकार कर दिया।

राँची **(सी. नेडुन्चेलियन)**

दिनांक : 18 अक्टूबर 2018 **महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(राजीव महर्षि)**

दिनांक : 25 अक्टूबर 2018 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

---

[4] यूनिट-I जोकि समान क्षमता का है, जून 2015 से जून 2017 के दौरान 17 मेगावाट (20 प्रतिशत) से 65 मेगावाट (100 प्रतिशत) के बीच क्षमता उपयोग द्वारा उत्पादित ऊर्जा के बराबर

[5] 75.73 एमयू x ₹ 3.01 (प्रति यूनिट ऊर्जा का शुद्ध प्राप्य मूल्य)